

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

क्रमांक
प्रति,

/टीसी/02/उपां/नग्रानि/2016 भोपाल,

दिनांक:- / /2018

1. कलेक्टर,
जिला सागर (म.प्र.)।
2. संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, सागर (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, सागर
जिला सागर (म.प्र.)।
4. आयुक्त
नगर निगम, सागर (म.प्र.)।
जिला सागर (म.प्र.)।

विषय:- सागर विकास योजना 2031 में उपांतरण बाबत।(अटल आश्रय योजना, ग्राम-तिली
माफी,खसरा क्रमांक- 233/2)

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा सागर विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयवधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

पृ. क्रमांक 2503 /टीसी/02/उपां/नग्रानि/2016 भोपाल,
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 18/5/2018

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

AP10
31/5
21/5

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

सूचना

भोपाल, दिनांक 18/5/2018

क्रमांक 2800 02/उपां/टीसी/ सागर /2016 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट सागर विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	तिली माफी	233/2	50.658 में से 20.00	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	आवासीय (अटल आश्रय योजना)
		योग:-	20.00 एकड़		

शर्त :- नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमति के पूर्व न्यूनतम 24.0 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया जाना एवं उसकी निरंतरता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर आयुक्त सह संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(गुलशन चामरा)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

Directorate, Town and Country Planning,

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh
Email-mptownplan@mp.gov.in, Phone No-0755 2427091

Notice

Bhopal, Dated. 18/5/2018

No. 2510 02/CL/TC/Sagar/2016 - In exercise of the powers conferred by clause(a) of Sub section (1) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973). The Director, hereby proposes the following modifications for public information in the Sagar Development Plan, 2031 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No	Village	Khasara No.	Area (In Acre.)	Land use specified in the development plan	Proposed Land use after modifications
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Tilimafi	233/2	20.00 out of 50.658	Public and Semi Public	Residential (Atal Ashraya Yojana)
		Total:-	20.00 Acre		

Condition :-Construction of minimum 24.0 meter wide road shall be done and its continuity shall be ensured before obtaining approval from Town and Country Planning.

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, District Sagar as well as on the web site. www.mptownplan.gov.in for period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Commissioner cum Director, Town and Country Planning Madhya Pradesh Bhopal or Joint Director Town and Country Planning, District office Sagar, in writing within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Commissioner cum Director.

(Guishan Bamra)

Commissioner cum Director
Town and Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal